Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) _____
   (Name) _____
2. (Signature) _____
   (Name) _____

Roll No. | | | | | | | |
(In figures as per admission card)

Roll No._____
(In words)

Test Booklet No.

D-9209

Time : **2 1/2** hours] [Maximum Marks : **200**

PAPER-III
HUMAN RIGHTS AND DUTIES

Number of Pages in this Booklet : **32** Number of Questions in this Booklet : **26**

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answer to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

   No Additional Sheets are to be used.
3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
   (i) To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
   (ii) **Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. **Use only Blue/Black Ball point pen.**
9. **Use of any calculator or log table etc., is prohibited.**

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए ।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुए रिक्त स्थान पर ही लिखिये ।

   इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है ।
3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी । पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
   (i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी कागज की सील को फाड़ लें । खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें ।
   (ii) **कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं । दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें । इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे । उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा ।**
4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है ।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे ।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें ।
8. **केवल नीले/काले बाल प्वाईंट पैन का ही इस्तेमाल करें ।**
9. **किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है ।**

HUMAN RIGHTS AND DUTIES

मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य

PAPER-III

प्रश्नपत्र-III

Note : This paper is of **two hundred (200)** marks containing **four (4)** sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र **दो सौ (200)** अंकों का है एवं इसमें **चार (4)** खंड हैं । अभ्यर्थियों को इनमें समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है ।

SECTION – I
खण्ड – I

Note : This section contains **five (5)** questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about **thirty (30)** words and carries **five (5)** marks.

(5 × 5 = 25 Marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित **पाँच (5)** प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **तीस (30)** शब्दों में अपेक्षित है । प्रत्येक प्रश्न **पाँच (5)** अंकों का है । **(5 × 5 = 25 अंक)**

Ancient Indian texts also contained precursors of modern conceptions of rights. Kautilya's *Arthashastra* (ca. 300 B.C.E.), in particular, provided an almanac of just rulings for kings. For instance, judges were admonished to show integrity and impartiality. "Judges and magistrates shall not impose a fine when it is not prescribed, impose a fine higher or lower than the prescribed one, award physical punishment when it is not prescribed." As in the Hebrew Bible, kings were not regarded as high priests, but in religious matters were subordinate to the Brahmins, who, like the Hebrew prophets, retained for thousands of years their position as an intellectual aristocracy.

Though there were different punishments for civil offenses and criminal charges, the *Arthashastra* includes no application of the talion law. With the exception of the Brahmins, people might be sentenced to death (with or without torture) not only if they committed murder or treason, but also if they robbed (more than ten cattle), stole the king's property or a soldier's weapon, or damaged waterworks (as a result of a scuffle or a dispute). For lesser crimes, mutilation or monetary penalty were in order, but there was no "eye for eye, bruise for bruise" punishment corresponding to one's offense. Monetary fines, for instance, could substitute for the mutilation of a body part (finger, nose, eye, hand, etc.). To elicit confessions of crimes, torture was an accepted form of judicial investigation. Once again, Brahmins and holy men were spared that ordeal, along with others such as minors, the aged, the sick, the debilitated, the insane, the starving, and pregnant women.

प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में अधिकारों की आधुनिक संकल्पनाओं के अग्रदूत भी हैं । विशेष रूप से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र (सी. ए. 300 बी. सी इ) में राजाओं के लिए न्यायपूर्ण शासन का पंचाट दिया हुआ है । उदाहरण के लिए, न्यायाधीशों को सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता दर्शाने के लिए चेतावनी दी गई थी । "जब जुर्माना नियत नहीं किया गया तो, न्यायाधीश एवं जिलाधीश जुर्माना नहीं लगाएँगे, नियत किये गये जुर्माने से अधिक या कम जुर्माना नहीं लगाएँगे, जब शारीरिक दंड का आदेश नहीं है तो वे शारीरिक दंड नहीं देंगे ।" जैसा कि हीब्रू बाइबिल में है, राजाओं को उच्च पुरोहित नहीं समझा जाता था, बल्कि धार्मिक मामलों मे वे ब्राह्मणों के अवर या गौण होते थे, जिन्होंने, हीब्रू पैगम्बरों की तरह से बौद्धिक अभिजात वर्ग के रूप में हजारों वर्षों के लिए अपनी स्थिति बनाए रखी ।

यद्यपि सिविल अपराधों और आपराधिक अभियोगों के लिए भिन्न-भिन्न सजाएँ थीं, अर्थशास्त्र में प्रतिकार कानून (टेलियन लॉ) का कोर्ड प्रयोग समाविष्ट नहीं है । ब्राह्मणों को छोड़कर, अन्य लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता होगा (यातना के साथ या छोड़ कर), न सिर्फ तब जबकि उन्होंने हत्या या राजद्रोह किया परन्तु तब भी, जब उन्होंने चोरी (10 मवेशियों से ज्यादा) की राजाओं की सम्पत्ति चुराई या सिपाही के हथियार उठा लिए या जलकल (वाटर वर्क्स) को क्षति पहुँचाई (हाथापाई या विवाद के फलस्वरूप) । छोटे अपराधों के लिए, अंग-विच्छेद या मौद्रिक दंड प्रचलित थे, परन्तु व्यक्ति के अपराध के सदृश, "आँख के लिए आँख, चोट के लिए चोट" प्रकार का प्रचलन नहीं था । उदाहरण के लिए, शारीरिक अंग (ऊंगली, नाक, आँख, हाथ, इत्यादि) के विच्छेद के लिए मौद्रिक जुर्माने का स्थान्नापन कर सकते थे । अपराधों का इकबाल कराने के लिए यातना देना न्यायिक जाँच का स्वीकृत रूप था । एक बार फिर, ब्राह्मण एवं पावन व्यक्तियों को अन्य कुछ लोगों जैसे कि अल्प वयस्क, वृद्ध, रोगी, दुर्बल, पागल, भुखमरा, और गर्भवती स्त्रियाँ इत्यादि को कठिन परीक्षा से छूट थी ।

1. What was presided for judges in the almanac for just rulings for Kings ?

   राजाओं के लिए न्यायपूर्ण शासन के पंचाट में न्यायाधीशों के लिए क्या व्यवस्था थी ?

2. What are similar provisions in the Hebrew Bible and in Kautilya's *Arthashastra* ?

हीब्रू बाइबिल में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक समान प्रावधान क्या थे ?

3. What was difference between Brahmins and non-Brahmins for policy of punishment for committing serious crime ?

गम्भीर अपराध करने पर दंड की नीति को लेकर ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों के बीच क्या अन्तर था ?

4. What was the policy of punishment for lesser crimes ?
छोटे अपराधों के लिए दंड नीति क्या थी ?

5. What was the policy of punishment to elicit confessions of crime ?
अपराध का इकबाल करवाने के लिए क्या दंड नीति थी ?

SECTION – II
खण्ड – II

Note : This section contains **fifteen (15)** questions, each to be answered in about **thirty (30)** words. Each question carries **five (5)** marks. **(15 × 5 = 75 Marks)**

नोट : इस खंड में **पाँच-पाँच (5-5)** अंकों के **पंद्रह (15)** प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **तीस (30)** शब्दों में अपेक्षित है । **(15 × 5 = 75 अंक)**

6. What were the goals of Magna Carta and American Bill of Rights ?
मेग्ना कार्टा और अधिकारों के अमेरिकन बिल के लक्ष्य क्या थे ?

7. What is the impact of the UDHR on the Constitutions of the 'New' States ?
नये राज्यों के संविधानों पर यू. डी. एच. आर. का क्या प्रभाव पड़ा ?

8. What is the interrelationship between Society, Economy and Polity ?

समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के बीच अंत:सम्बन्ध क्या है ?

9. What are the Rights of Current *Vs* Future Generations in the context of environmental degradation ?

पर्यावरणीय अध:पतन के संदर्भ में वर्तमान बनाम भावी पीढ़ी के अधिकार क्या हैं ?

10. What is the relation between State, individual liberty and democracy ?
राज्य, वैयक्तिक स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के बीच क्या सम्बन्ध है ?

11. What is the relation between grassroot movements and Human Rights ?
आधारिक आन्दोलनों और मानवाधिकारों के बीच क्या सम्बन्ध है ?

12. What are the concerns of Universal Human Rights ?
सार्वभौमिक मानवाधिकारों के सरोकार क्या हैं ?

13. How Human Rights are changing the world order ?
विश्व व्यवस्था को मानवाधिकार किस प्रकार बदल रहे हैं ?

14. Define and explain development as freedom.

स्वतन्त्रता के रूप में विकास की व्याख्या और स्पष्टीकरण कीजिए ।

15. What are economic growth strategies of developing countries ?

विकासशील देशों की आर्थिक संवृद्धि सम्बन्धी रणनीतियाँ क्या हैं ?

16. What social action is required to deal with underdevelopment ?
अल्प विकास के साथ जूझने के लिये किस सामाजिक कार्रवाई की जरूरत है ?

17. What is impact of Human Rights movements in India ?
मानवाधिकारों के आन्दोलनों का भारत में क्या प्रभाव हुआ ?

18. What is constitutional vision of role of the State relating to Human Rights ?

मानवाधिकारों से सम्बन्धित राज्य की भूमिका के बारे में संवैधानिक संकल्पना क्या है ?

19. What is conflict and co-operation between constitutional organs relating to Human Rights ?

मानवाधिकारों से सम्बन्धित संवैधानिक अवयवों के बीच संघर्ष एवं सहयोग क्या है ?

20. What is inter-relativity of Human Rights and Responsibilities ?
मानवाधिकारों और उत्तरदायित्वों की परस्पर सापेक्षता क्या है ?

SECTION – III
खण्ड – III

Note : This section contains **five (5)** questions of **twelve (12)** marks each. Each question is to be answered in about **Two Hundred (200)** words. **(5 × 12 = 60 Marks)**

नोट : इस खण्ड में **बारह-बारह (12-12)** अंकों के **पाँच** प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **दो सौ (200)** शब्दों में अपेक्षित है । **(5 × 12 = 60 अंक)**

21. Analyse and evaluate Helsinki Declaration on Human Rights.
मानवाधिकारों पर हैलसिंकी घोषणा का विश्लेषण और मूल्यांकन कीजिए ।

22. Critically appreciate role of law to protect Human Rights of marginalised sections of the society.
समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करने हेतु कानून की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

23. Analyse and evaluate Human Rights of preventive detenus as applied by judiciary.
निरोधी नजरबन्दों के मानवाधिकार, जैसे कि न्यायपालिका द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कीजिए ।

24. Critically analyse status of Human Rights in dictatorships.
अधिनायक तन्त्रों में मानवाधिकारों की हैसियत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए ।

25. Explain the impact of liberalisation and globalisation on Human Rights in India.
भारत में मानवाधिकारों पर उदारीकरण और वैश्विकीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए ।

SECTION – IV
खण्ड – IV

Note : This section consists of **one** essay type question of **forty** (**40**) marks to be answered in about **one thousand** (**1000**) words on any **one** of the following topics.

(1 × 40 = 40 Marks)

नोट : इस खण्ड में एक **चालीस (40)** अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल **एक** पर, लगभग **एक हजार (1000)** शब्दों में अपेक्षित है । **(1 × 40 = 40 अंक)**

26. Attempt a comparative critique of liberal perspective and Marxian perspective relating to Human Rights.
मानवाधिकारों से सम्बन्धित मार्क्सवादी दृष्टिकोण और उदार दृष्टिकोण की तुलनात्मक आलोचना कीजिए ।

OR/अथवा

'Declarations, conventions, codes and legislations relating to Human Rights at the best are national show pieces, and at the worst are a misleading chimera, in the Indian context.' Comment.
'भारतीय सन्दर्भ में, मानवाधिकारों के सम्बन्ध में घोषणाएँ, अभिसमय, संहिताएँ अपनी अच्छी से अच्छी स्थिति में राष्ट्रीय दर्शनीय वस्तु हैं, और बुरी से बुरी स्थिति में भ्रामक मिथ्या कल्पना है ।' टिप्पणी कीजिए।

OR/अथवा

Critically enumerate and evaluate the impact of UN Organs on emerging international order, in the context of Human Rights.
मानवाधिकारों के सन्दर्भ में यू. एन. अवयवों का उभरते अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रभाव का आलोचनात्मक रूप से निर्देश दीजिए और मूल्यांकन कीजिए ।

FOR OFFICE USE ONLY	
Marks Obtained	
Question Number	Marks Obtained
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	

Total Marks Obtained (in words) .....

(in figures) .....

Signature & Name of the Coordinator .....

(Evaluation) Date .....